



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102025-267242
CG-DL-E-29102025-267242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4641]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 2025/आश्विन 29, 1947

No. 4641]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2025/ASVINA 29, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4770(अ).—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्यांक का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकी, फायदा और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) में उपभोक्ता मामले विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) स्कीम (जिसे जबकि इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है:

और, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है) के उपभोक्ता मामले विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विभाग कहा) के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एजेंसी कहा गया है) मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अंतर्गत खरीद कार्यों को कार्यान्वित कर रही हैं:

और, उक्त स्कीम के अधीन किसानों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को उक्त स्कीम के संबंध में जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत भुगतान (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभ कहा गया है) दिया जाता है:

और, उक्त स्कीम के लिए व्यय भारत की संचित निधि से उपगत होता है:

और, उक्त एजेंसियां इच्छुक हैं कि उक्त सरकार, उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ, यह अपेक्षा करती है कि ऐसे लाभार्थी का प्रमाणीकरण हो, या वह आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करे, या ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे कोई आधार संख्यांक नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे:

अतः अब, भारत सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं, लाभ और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थातः—

1. (1) उक्त स्कीम के अंतर्गत उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण कराना होगा अथवा आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- (2) यदि उक्त किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

परन्तु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार उक्त एजेंसियां, ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेंगी, जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, या रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करने या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेंगी:

परन्तु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या नहीं दी जाती है, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा, जिसका वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध हैं, या यदि उक्त एजेंसियों द्वारा प्रदान या अधिकृत किया गया सॉफ्टवेयर, इस पहचान के लिए ऐसे दस्तावेजों की तैयारी या रखरखाव से संबंधित अधिकारियों के डेटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, अर्थातः—

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है:

- (क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें ईआईडी सम्मिलित होगी; तथा
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थातः—
 - (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;
 - (ii) राशन कार्ड;
 - (iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो;
 - (iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या कार्यरत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
 - (v) भारतीय पासपोर्ट;
 - (vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या मार्कशीट;
 - (vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;
 - (viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;
 - (ix) भारत में जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस;

- (x) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करते हुए प्रमाण-पत्र; या
- (xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—
- (I) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड;
 - (II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
 - (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
 - (IV) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या
- (xii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकता के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय स्व परायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानिसक भेदता और बहुनिःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या
- (xiii) उक्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:
- (4) उक्त विभाग द्वारा इस संबंध में नामनिर्दिष्ट अधिकारी, खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय-वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा,—
- (क) मायआधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर ईआईडी प्रस्तुत करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि, जिससे यह पुष्टि हो सके कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; तथा
 - (ख) अन्य दस्तावेजों के संबंध में, तथा इस प्रयोजन के लिए, किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता ले सकेगा तथा प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ साझा कर सकेगा, जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।
2. लाभार्थियों को उक्त लाभ आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्यांक की अपेक्षा के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
3. जहां किसी लाभार्थी के आधार संख्यांक का प्रमाणीकरण जो किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जाता है, किसी कारण, जैसे कि बायोमेट्रिक सूचना की खराब गुणवत्ता से विफल हो जाता है, जहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् -
- (क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, प्रस्तुत किया जाएगा;
 - (ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त स्कीम के अधीन लाभ, यथास्थिति आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-

केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्यांक की वास्तविकता स्थापित करने के पश्चात्, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकेगा:

- (i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार संख्यांक धारक को उसके आधार संख्यांक के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात् यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकेगा) शामिल है, इसकी वास्तविकता आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के पश्चात् स्थापित की जाती है।
 - (ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है), इसकी वास्तविकता यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के पश्चात्।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, एजेंसियां भारत सरकार कैबिनेट सचिवालय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेंगी।
 5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एम-3/1/2-24-पीएमसी(भाग 2)]

कामखेनथांग गुडटे, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

S.O. 4770(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Department of Consumer Affairs (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering Price Stabilisation Fund (PSF) Scheme (hereinafter referred to as the said scheme):

And whereas the Implementing Agencies like National Cooperative Consumers' Federation of India Limited (NCCF) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED) (hereinafter referred to as the agency) under the aegis of the Department of Consumer Affairs, (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of India (hereinafter referred to as the Government) are implementing the procurement operations under Price Stabilisation Fund (PSF) Scheme (hereinafter referred to as the scheme):

And whereas payments (hereinafter referred to as the said benefit) are given to the farmers (hereinafter referred to as the beneficiaries) under Price Stabilisation Fund (PSF) Scheme for selling their produce under the Scheme under the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India:

And whereas the said Agencies are desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act), the Government of India hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

- (3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Agencies shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Agencies for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and
- (b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) Ration card;
 - (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (v) Indian passport;
 - (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
 - (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;
 - (ix) Driving licence issued in India;
 - (x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (xi) In respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

- (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (xiii) Any other document as the said Department may specify:
- (4) An officer designated by the said Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—
- the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
 - the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
- In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
 - In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
 - An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (i.e., the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
 - Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.
4. In order to ensure that bona fide beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the agencies shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).
5. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No, M-3/1/2-24-PMC(Pt.2)]

KAMKHENTHANG GUITE, Economic Adviser